मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्राथमिक शिक्षा हेतु विदेशी सहायता

1638. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु कितनी विदेशी सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है और अब तक प्राप्त हो चुकी विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या क्या हैं जहां उक्त सहायता के साथ इस परियोजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त परियोजना हेतु राज्यों और जिलों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) क्या सहायता प्रदान करने वाले देशों द्वारा इस संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; यदि नहीं, तो इन मानदण्डों का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी कौन-कौन हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा निर्धारित प्राचलों (पैरामीटर) के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए विदेशी सहायता मांगी जाती है । ये प्राचल निम्नलिखित हैं :—

—विदेशी वित्तपोषण शिक्षा के लिए जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे अतिरिक्त के रूप में होना चाहिए,

—परियोजनाएं राष्ट्रीय नीतियों, कार्यनीतियों तथा कार्यक्रमों के पूर्णतया अनुरूप हों,

—परियोजना तैयार करने का दायित्व केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों के ऊपर होना चाहिए,

—परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया क्षमता तैयार करने की होनी चाहिए, अर्थात् परियोजनाएं नवाचारी सिद्धान्तों पर तैयार की गई हों तथा इसमें जनता की भागीदारी, शिक्षा की गुणवत्ता और समानता में सुधार तथा सुविधाओं में पर्याप्त मात्रा में स्तरोन्नयन पर बल हो ।

इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विदेशी सहायता प्राप्त बुनियादी शिक्षा परियोजनाएं बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पहले से ही चल रही हैं । बिहार शिक्षा परियोजना को यूनिसेफ से 180 करोड़ रु० की सहायता प्राप्त है, राजस्थान में लोक जुंबिश परियोजना को 1992—94 के लिए 9 करोड़ रु० एस० आई०डी०ए० से सहायता प्राप्त है तथा उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना को विश्व बैंक से सात वर्ष की अवधि के लिए 633.36 करोड़ रु० की सहायता प्राप्त है ।

जिला विशिष्ट आयोजना और पृथक-पृथक लक्ष्य निर्धारण के जरिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की कार्यनीति को कार्यरूप देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्रवाई योजना, 1992 को ध्यान में रखकर अभी हाल ही में "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" नामक एक नया कार्यक्रम तैयार किया गया है । इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे जिलों को चुना गया है जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है तथा जहां सपूर्ण साक्षरता अभियानों से प्रारंभिक शिक्षा के लिए मांग सृजित हुई है । कार्यक्रम के प्रथम चरण के लिए असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश नामक सात राज्यों के 42 जिलों को चुना गया है । इस कार्यक्रम को वित्तापोषित करने के लिए अनेक बहु-पक्षीय

तथा द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों ने रूचि दर्शाई है। यूरोपीय समुदाय द्वारा 150 मिलियन ई०सी०यू० (लगभग 585 करोड़ रुपए) की सहायता देने का वचन दिया गया है।

Lessons on Politicians in Power

1639. SHRI K. R. MALKANI : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some states are including lessons on politicians in power in school text-books; and

(b) whether Government would advise all concerned agencies not to include lessons on living personalities in text-books ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA) : (a) and (b) The National Council of Educational Research & Training (NCERT) an autonomous body funded by the Government of India, publishes school text-books for use in CBSE-affiliated schools which comprise only about 0.46% of the total number of schools in the country. The NCERT have informed that in so far their text books are concerned, they have always followed the policy of not including any lessons on living personalities who are involved mainly in political activities or are known mainly for their political work. In the matter of developing curricula, syllabi and textbooks for the large majority of schools under the control of the State Governments, the role of the NCERT is purely recommendatory, since the State Governments have full autonomy in these areas. As such, it would be appropriate if educational bodies in the States develop their own norms in regard to the desirability of including lessons on living political personalities.

Recommendation of CABE Committee

1640. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the Central Advisory Board of Education (CABE) Committee on decentralising management of education has submitted its report;

(b) if so, the main recommendations made by the Committee;

(c) the details of recommendations which have been accepted by Government;

(d) the action taken/proposed to be taken by Government to implement these recommendations; and

(e) if not, what are the resaons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) Yes, Sir. The Central Advisory Board of Education (CABE) on Decentralised Management of Education submitted its report to the Chairman of CABE on 18th September, 1993.

(b) The main recommendations made by the CABE Committee on Decentralised Management of Education are enclosed at Statement (*See* below).

(c) to (e) The report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education was considered by the CABE in its meeting held on 15th October, 1993. The CABE endorsed the report and commended it for appropriate adaptation and effective implementation by the States and UTs keeping in view their specific situation as well as the spirit of the Constitutional Amendments.

Statement

Main Recommendations Made by the CABE Committee on Decentralised Management of Education

1. Separate Education Committees to be set up at Panchayat, Panchayat Samiti and Zilla Parishad levels.

2. The Panchayat Standing Commitee will exercise supervision over early childhood care and education, non-formal education, primary education and adult education programmes in its jurisdiction. It will also exercise supervision over composite upper primary schools under delegation of powers from the Panchayat Samiti.